

FORM No. III  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अदालत उपरवण्ड अदिकारी मुकाम आठडल  
 नं. 55 गुरा अठग वनाम नन्दा  
 नं. 3107 नं. 2009

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16-2-18	पत्रावली पेश हुई, पत्रालय फरिक्तेन उपस्थित। उभयपक्ष बहस आयन्दा करना चाहते हैं। बहस हेतु अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 15-3-18 को पेश हो। आगामी दिनांक तक जारी अस्थाई निषेधाज्ञा बर्दाश्त जाती है।	
15-3-18	पत्रावली पेश हुई, अभिवापकगण द्वारा न्यायिक कार्य समाप्त/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो। 19-4-18	
8-6-18	पत्रावली कोम्प... सि. डि. सा. ल. को पेश हुई। आगामी दिनांक... 12.7.18 को पेश हो।	नन्दा र...
10-7-18	पत्रावली पेश हुई, वादी अधिवक्ता उपस्थित, वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी को थार्डे अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं मिली तो अपूर्णतय क्षति होगी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया जाकर प्रार्थी पत्र अन्तर्गत 212 RTA के तहत मूल बाद के विस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार लेकर मूल वाद के साथ सततन हो।	

उपरवण्ड अदिकारी  
मंडल न्याय न्यायालय